

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No 101/AEV/2025-26

Dated: 15-05-2025

Certified that the existing building ST. JOSEPH SCHOOL (name of the building or premises) at CHAHANIA, CHANDAULI (address) comprised of - NA - basement(s) and GROUND + TWO (upper floors) owned/occupied by ST. JOSEPH SCHOOL CHAHANIA (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D. CHANDAULI (Name of Department/ Govt.) on 15-05-2025 (date of inspection) in the presence of ARTI JHA (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) with effect from 15-05-2025 for a period of 01 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. All responsibility for the Construction and
2. Structural design of the School building
3. Will be the responsibility of the management
4. of the School Manager

Issued on 15-5-2025 at Chahania by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : Assistant Engineer

Provinci Division
Name : P.W.D. Chandauli

Designation : _____

Name & Address of Department/ Office: _____

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली

पत्रांक 101/AGV/2025-26

दिनांक 15-05-2025

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट जोसेफ स्कूल

चहनियां, चन्दौली।

विषय:- निर्मित सेन्ट जोसेफ स्कूल, चहनियां चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पार्थना पत्र दिनांक-15.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अइसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अइसठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित सेन्ट जोसेफ स्कूल, चहनियां चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षणोपरान्त प्रथम् दृष्टया विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है तथा किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नक:-चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में।

KSL


सहायक अभियन्ता

[Signature] प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
15/05/2025 चन्दौली

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र

विद्यालय का नाम- सेन्ट जोसेफ स्कूल, चहनियां चन्दौली

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन माचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊंचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 18000 वर्गमी० है ?	नहीं
5	क्या भवन के चारो तरफर 6 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट वैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	नहीं
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?/क्या दिव्यांग जन हेतु रैम्प बना है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राईजर 150 मि०मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 चन्दौली

कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली

पत्रांक- 161 / जि0पं0चं0 / 2025-26

दिनांक- 10-6-25

श्रीमती आरती झा,
प्रबन्धक,
सेन्ट जोसेफ स्कूल,
भगवानपुर, चहनियां,
चन्दौली।

नक्शा नं०:- 92/2025

प्रस्तावित नक्शा स्थल:- मौजा-भगवानपुर, आराजी नं०-104ख, परगना-महुआरी, तहसील-सकलडीहा,
जनपद-चन्दौली।

विषय:-आप द्वारा आवेदित शैक्षणिक भवन नक्शा स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक-25.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मौजा-भगवानपुर, आराजी नं०-104ख, परगना-महुआरी, तहसील-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली में निर्मित होने वाले भवन स्थल का निरीक्षण अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता, जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर उपविधि के अनुसार नक्शा स्वीकृत करने की दर की अन्तरिम आगणित धनराशि लेबरसेस सहित मु०-470782.00 (चार लाख सत्तर हजार सात सौ बयासी रूपये मात्र) आप द्वारा जमा कर दिया गया है। तदनुक्रम में आप द्वारा प्रस्तुत भवन के नक्शों की अनुज्ञा उपविधि में वर्णित नियमों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मी० के भू-आच्छादन पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का भी प्राविधान आपको करना होगा। उक्त प्राविधान न करने पर भविष्य में यदि कोई विषम स्थिति उत्पन्न होती है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आपके विरुद्ध उपविधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. आप द्वारा जिला पंचायत, चन्दौली की सरकारी गजट उ०प्र० इलाहाबाद में दिनांक-07.10.2017 को प्रकाशित भवन उपविधि में वर्णित नियमों एवं शर्तों व आवेदन के समय आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। इसका किसी भी प्रकार से उलंघन करने पर स्वीकृत नक्शा निरस्त करते हुए निर्मित भवन ध्वस्त कराकर आपके उपर विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आप द्वारा प्रस्तुत भवन नक्शे के साथ संलग्न जमीन सम्बन्धित अभिलेखों में किसी भी प्रकार का भविष्य में विचलन या गड़बड़ी प्रकाश में आने पर नक्शा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. निर्मित होने वाले/हो चुके भवन के पानी निकासी की व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन सुरक्षा, जनरेटर, आम आवागमन का आम रास्ता, उचित वायु के आवागमन को दृष्टिगत को रखते हुए, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था आपको सुचारु रूप से स्वयं करनी होगी तथा साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुचारु रूप से करनी होगी।

5. स्वीकृत भवन नक्शों की डिजाईन व आकृति में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाय और न ही स्वीकृत नक्शे के सापेक्ष निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का भविष्य में तोड़-फोड़ किया जाय। आवश्यकतानुसार जिला पंचायत, चन्दौली में पुनः आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर पृथक से पुनः अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. निर्मित होने वाले भवन के परिसर के खुले क्षेत्र का उपयोग वृक्षारोपण के लिये किया जायेगा एवं वाहनों का पार्किंग इस तरह से किया जाय कि अन्य वाहनों के आवागमन में कोई अवरोध/व्यवधान न उत्पन्न हो।

7. निर्धारित स्थल पर स्वीकृत परिक्षेत्र के अतिरिक्त खुले क्षेत्र पर भविष्य में बिना जिला पंचायत, चन्दौली से अनुमति लिए कोई भी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

क्रमशः.....

8. स्वीकृत भवन नक्शे के आधार पर आवेदक का भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सिद्ध नहीं होता है एवं स्वामित्व सिद्ध करने हेतु किसी प्रमाण/अभिलेख के रूप में प्रयोग/प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

9. स्वीकृत भवन नक्शे के अतिरिक्त यदि कोई निर्माण कार्य किये जाने पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस भाग को तोड़ने/हटाने की जिम्मेदारी आपको अपने खर्च पर कराते हुए जिला पंचायत को सूचित करना होगा।

10. अधिनियम में अंकित खण्ड (त) के बिन्दु-ग पर अंकित नियम जिसमें यह उल्लिखित है कि जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शे होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

उक्त नियम व शर्तों का उलंघन करने पर स्वीकृत नक्शा निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपका कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

संलग्नक:-स्वीकृत नक्शों की एक प्रति।

अभियन्ता,

जिला पंचायत, चन्दौली।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।
2. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।
3. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, चन्दौली।
4. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।


EXTI. BUILDING PLAN OF **ST. JOSEPH'S SCHOOL** SITUATED AT ARAZI NO.104 (K,KH) MAUZA-BHAGWANPUR (CHAHANIA), PARAGANA - MAHUWARI, TEHSIL- SAKALDIHA DISTRICT-CHANDAULI U.P -

FRONT ELEVATION





SITE PLAN


EXTI. GROUND FLOOR PLAN




KEY PLAN NOT TO SCALE




SECTION - AT A-B



EXTI. FIRST FLOOR PLAN



EXTI. SECOND FLOOR PLAN



TERRACE PLAN

M.K. Singh
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत-चन्दौली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चन्दौली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चन्दौली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चन्दौली
10/6/24


SCALE = 1:100

DIRECTOR - ARATI JHA
W/O ANIL KUMAR JHA

SIGN- *Arati Jha*

SCHEDULE OF AREA CHART		
S.N	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1.	TOTAL PLOT AREA	7651.92
2.	OPEN AREA	6011.10
3.	GROUND FLOOR AREA	802.25
4.	FIRST FLOOR AREA	802.25
5.	SECOND FLOOR AREA	802.25
6.	MUNTY AREA	28.53
7.	TOTAL COVERED AREA	2435.28
8.	F.A.R.	0.34
9.	GROUND COVERAGE (in%)	0.11
10.	BUILDING HEIGHT	10.80 M.

SCHED. OF DOOR & WINDOW			
S.N	TYPE	SIZE	NO.
1.	D	1.21X2.59	24
2.	D1	0.76X2.13	06
3.	W	1.82X1.82	30
4.	W1	1.37X1.82	02
5.	V	0.90X.45	05



KUMAR BUILDING CONSTRUCTION
G.T. ROAD, NAI BASTI, MUGHALSARAI, CHANDIAI
CHECKED BY - M.K. SINGH (mob.9415270327)
DRAWN BY - S.K.M OFF NO. 9454444700
JILA PANCHAYAT DRAWING NO.05/24
DATE -11/01/2024 K.B.C. - *[Signature]*
20/1/24

KUMAR BUILDING CONSTRUCTION
M. K. SINGH (Architect & Civil Engr.)
Lic No. D-9-7/33-24
G.T. Road, Nai Basti, Mughalsarai, Chandauli